स्मरण–पत्र

राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

कमांकःनिसंशि / लेखा–6 / प.छात्र. / 2021–22 / 38692–760 दिनांकः 01/12/2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / अराजकीय
आचार्य / शास्त्री / वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत
महाविद्यालय / विद्यालय ....

विषयः– परम्परागत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर प्रेषित करने के सन्दर्भ में।

प्रसंगः– निदेशालय के पत्रांक निसंशि / लेखा–6 / पं. छात्र / 2021–22 / 341788–34369 दिनांक 27.10.2021

उपरोक्त विषय में लेख है कि निदेशालय के पत्रांक निसंशि / लेखा–6 / पं. छात्र / 2021–22 / 341788–34369 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा परम्परागत संस्कृत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में) पूर्ति कर दिनांक 30.11.2021 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आपके द्वारा आदिनांक तक इस संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी है।
अतः उक्त परिप्रेक्ष में निर्देशित किया जाता है कि परम्परागत छात्रवृत्ति आवेदन पत्र बिन्दुवार पूर्ति कर मय अंक तालिका, आधार कार्ड छाया प्रति एवं आय के प्रमाण पत्र सहित छात्रों की सूची विषयवार व कक्षा वार तैयार कर छात्र का खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का स्थान एवं IFSC कोड निर्धारित कॉलम में पूर्ति कर दिनांक **15.12.2021** तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

नोट : संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं से परम्परागत छात्रवृति के आवेदन पत्र आवश्यक रूप से पूर्ति कर विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें, कोई भी पात्र छात्र–छात्रा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए यदि छात्र–छात्रा छात्रवृति से वंचित रहते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। इसे अत्यावश्यक समझे।

सामान्य नियमः–पात्रता की शर्तेः–

1. यह छात्रवृत्तियाँ के केवल राजस्थान के आचार्य/शास्त्री एवं उपाध्याय कक्षाओं में अध्ययन छात्र/छात्राओं को देय होगी।
2. इन छात्रवृत्तियों के लिये केवल वह ही छात्र/छात्रायें आवेदन के पात्र होगें जिनके ज्योतिष,साहित्य, व्याकरण विषयों में न्यूनतम प्राप्तांक 50 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 45 प्रतिशत होगें।
3. **नवीन(फ्रेश)ः–**छात्रवृत्ति प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में ही स्वीकार होगी(प्रथम वर्ष से तात्पर्य प्रथम वर्ष कनि.उपा.प्रथम वर्ष शास्त्री एवं प्रथम वर्ष आचार्य)
4. **नवीनीकरणः–**आचार्य/शास्त्री/कनिष्ठ उपाध्याय प्रथम वर्ष में उक्त छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्राओं को उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही इस छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। पूर्व उत्तीर्ण कक्षाओं में संस्कृत विषयों (ज्योतिष,साहित्य, व्याकरण) में भी 50 प्रतिशत तथा अन्य विषयों में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. **अनुसंधान(शोध) छात्रवृतिः–** अनुसंधान (शोध)छात्रवृत्तियों की संख्या केवल दो है। वे उन्ही छात्रों को देय होगी जो जगदगुरू रामानान्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्व विद्यालय जयपुर से विद्यावारिधि(पी0एच0डी0) तथा विद्यावाचस्पति(डी.लिट) के लिये पंजीकृत होगें। इस छात्रवृत्ति की दर 200/–रूपये प्रति माह होगी। मैरिट अधिस्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारत होगी।
6. छात्रवृत्ति प्रत्येक शिक्षा सत्र में जुलाई से अप्रेल अधिकतम 10 माह के लिये ही देय होगी। तथा इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उक्त अवधि में विद्यार्थी सरकार की किसी अभी अन्य योजना के अन्तर्गत/स्त्रोत से छात्रवृति प्राप्त नही कर रहा हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(लीला राम मीणा)
वित्तीय सलाहकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

कमांकः निसंशि / लेखा–6 / प.छात्र. / 2021–22 / 38692–760 दिनांकः 01/12/2021

प्रतिलिपि : वेबसाईट प्रभारी निदेशालय को भेजकर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करें।

वित्तीय सलाहकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर

राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

संस्कृत शिक्षा विभागीय छात्रवृति परियोजनाओं के अन्तर्गत नवीन / नवीनीकरण छात्रवृति आवेदन पत्र

शिक्षा सत्रः

वित्तीय वर्षः

- परम्परागत संस्कृत परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (ज्योतिष,साहित्य,व्याकरण)
- परम्परागत संस्कृत मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति (प्रोडक्ट) छात्रवृति

टिप्पणीः

- यह आवेदन पत्र गत परीक्षा के परिणाम निकलने के एक माह के अन्दर निदेशालय में भेजना अनिवार्य होगा।
- **नवीन छात्रवृति का आवेदन पत्र प्रत्येक पाठ्यकम के प्रवेश वर्ष में होगा। (प्रवेश वर्ष से तात्पर्य प्रथम वर्ष वरि0 उपा0, प्रथम वर्ष शास्त्री, आचार्य (प्रथम वर्ष)**

1. आवेदक का नाम (हिन्दी) : ....(केपिटल अक्षर अंग्रेजी में)....................................

2. आवेदक के पिता का नाम (हिन्दी): ....(केपिटल अक्षर अंग्रेजी में)...................................

3. वर्ग (संबंधित पर √ निशान लगाये) एस सी.... एस टी..... ओबीसी.... एसबीसी .....

4. आवेदक की जन्मतिथि : ....

5. लिंग (संबंधित पर √ निशान लगाये) : पुरुष.... स्त्री.... विवाहित..... अविवाहित......

6. प्रवेश क्रमांक / तिथि :..

7. संस्था का नाम व पता तथा कक्षा मय विषय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है

   1 संस्था..

   2. कक्षा..

   3. विषय..

8. राज्य : ....

9. जिला : ....

10. बैक संबंधी विवरण (बैक खाते पास बुक की साफ–सुथरी फोटो प्रति संलग्न करें) :

   1. बैक का नाम एवं शाखा का स्थान :

   2. बैक खाता नम्बर :

   3. बैंक का आईएफसी कोड नम्बर :

11. मोबाईल नम्बर : ....

12. घर का पता : ....

13. आधार कार्ड नम्बर : ....

14. पेन नम्बर (ऐच्छिक) : ....

15. स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृति का विषय..

16. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का विवरणः नाम परीक्षा वर्ष श्रेणी प्रतिशत

(अंकतालिका की फोटो प्रति राजपत्रित

अधिकारी से प्रमाणित कराकर सलग्न करें)

17. अभिभावक की वार्षिक आय ....

(राजपत्रित अधिकारी अथवा नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण संलग्न किया जावे।)

हस्ताक्षर छात्र

संस्था प्रधान द्वारा अभिशंषा एवं प्रवेश प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ....पुत्र/पुत्री श्री ....इस संस्था में चालू सत्र.......................... ....में प्रवेश नम्बर..........................दिनांक..........................को कक्षा आचार्य/शास्त्री/वरिष्ठ उपाध्याय/वर्ष..............................में प्रविष्ठ हुआ तथा अब भी अध्ययनरत है छात्र/छात्रा का आचरण व प्रगति सन्तोषजनक है। अतः छात्र/छात्रा को नवीन विषय ....की छात्रवृति स्वीकृति हेतु अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान

(नवीनीकरण हेतु प्रमाणित करें)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा...को वित्तीय वर्ष ....में छात्रवृति आदेश क्रमांक ....दिनांक..............................द्वारा कक्षा...................विषय ....में स्वीकृत की गई थी।

हस्ताक्षर मय सील संस्था प्रधान